


राजस्थान - सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास  
 पीठासीन अधिकारी :- सुश्री प्रियका कडेला आर.ए.एस.  
 राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प कोर्ट एस.डी.एम. कार्यालय बामनवास  
 मु.न. - 49/2025  
 उनवान :- लालाराम बनाम लेण्ड होल्डर बगै.

:-आदेश:-

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बामनवास पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार बामनवास की ओर से प्राप्त रिपोर्ट / अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गोठ प.म. सीकरोली	95,107,130,164,277,278,279,308,323,324,325,326,349	राजाराम पुत्र नरेश	लालाराम पुत्र नरेश

यह आदेश आज दिनांक 13.9.2025 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बामनवास में दिया गया।

  
 ( प्रियका कडेला )  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बामनवास

दिनांक:-

क्रमांक / कोर्ट / 2025 /  
 प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार बामनवास को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बामनवास